Notice

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० रेरा द्वारा न तो किसी प्रोमोटर की परियोजना का प्रचार-प्रसार किया जाता है और न ही किसी परियोजना में निवेश करने के लिये किसी को सलाह दी जाती है | यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा इस प्रकार विज्ञापन किया जाता है कि रेरा उसकी परियोजना में निवेश करने के लिए उसकी परियोजना का विज्ञापन कर रहा है तो वह कानूनी रूप से अपराध है| कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना **contactuprera@up-rera.in** पर दे सकता है | पूर्व में अज्ञात व्यक्ति/संस्था द्वारा रेरा के नाम से एस०एम०एस० भेज कर प्रापर्टी क्रय करने एवं रेंट पर लेने हेतु प्रचार प्रसार किये जाने का मामला संज्ञान में आने के पश्चात उ०प्र० रेरा द्वारा उक्त अज्ञात व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध लखनऊ के महानगर थाना में एफ० आई० आर० भी पंजीकृत कराया गया है|